


23 2/21

पमावली पैरा / वकील वादी उपस्थित थे। बहल  
विडान अधिवक्ता) वादी पर बिचाट किमा दोलन  
बहल विडान अधिवक्ता वादी का जमान है, कि  
पूर्व सेटफमेंट में वादी के दादा का नाम मंगा  
लिखा है, जो सही थी बाद में वादी के दादा  
का नाम मांग्या बेकिल कर दिया है, जो गजल थी  
वादी के पिता श्री सुल्फु हॉ उम्मी थी वादी  
के पिता श्री सुरिपूर्ण वल्लिमल दर्ज रह  
जाने से नष्ट करिनाइयाँ का रही थी अल।  
रिफाई इकमल कलवा कर वादी के दादा का


  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इतिहासकृत अज

नम्बर क  
अवकाश  
हुकम की  
में जारी

नाम मांग्या के स्थान पर नगा दर्ज करने  
का अवेदन कामयाब जावे।  
बाद वहस पब्लिकरी का आलोचना  
गहन अवलोकन एवं मनन किया गया।  
वादी के बादपत्र के कयन, वॉन्डिहल मनु  
लोख, अबाव साफा एवं वारी गाल अमुल  
इस्कोवात पर सम्पत्त विचार किया।  
अपने कयनों के समर्पन में वारी  
गाल नरुत अमाबंदी ग्राम लोमोलिया लैवल  
२०१५-१७ (बाला नं. १०, नरुत कर्ष मिलान  
सन् २००५-२५, नरुत अमाबंदी लोमोलिया  
लैवल २०३६-३८ (बाला नं ८, नरुत  
अमाबंदी वन्डोवन्दा सं २०४-३३ (बाला  
नम्बर २६, ग्राम पं. रीइइया जू पं दि. २२.१.२१,  
अबाव साफा का अवलोकन किया।  
अबाव सं. प्रलिठ गाल अुरिइरुर्वा नाम नगा के  
हमान पर मांग्या अंकित किया जाना  
स्वीकाल किया गया है।  
हम्ब नरुत अमाबंदी वन्डोवन्दा  
२०१४-३३ (बाला नं २६ पर कान्या  
वल्ल नगा कौम अुरल लार ईल नवलला  
नं १४७, ३१५, ३४५/३६५, ३४७/२६६  
किला ४ (नवा ६)३ दर्ज रिकार्ड मा लया  
लैवल २०३६ ई ३८ मी अमाबन्दी (बाला

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपमन्त्री

प्रममः

अहकाम  
हुकम की  
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

नम्बर ८ में खसरा नम्बर ३४५/३६५  
व ३४७/३६६ किला ३ (कबा २) पर  
शान्दा केरा मांग्या नाम अन्तर्गत रजि  
रिया गया।

एम्ब मितात संवत् १९९० साबिक आलाही  
नम्बर ३४५/३६५ व ३४७/३६६ के रात खो  
नं० ४६४, ४६५ व ४७२ पेट्टेद किर्मे गर्ब  
है।

उक्त खसरा नम्बर  $\frac{४६४}{०.०२}$ ,  $\frac{४६५}{०.१४}$  व  $\frac{४७२}{०.२३}$

किला ३ (कबा ०-३६) हे० शान्दा पुत्र मांग्या  
के नाम रजि की मांग्या का सुरिणी नाम  
अंकित हो रहा है, जबकि उक्त स्थान पर  
नगा रजि किया जाना चाहिये था।

सकारण उक्त कोर्टे आपनिल व्यक्ता  
वलीं नी गर्ब है।

अतः सुनावणु के आधार पर  
रावा वारी अंशतः खीता किया जाऊ  
यह आदेश दिये जाते हैं, कि बादगत  
शुमि माल मोजा लमोलिया खस नम्बर  
४६४, ४६५, ४७२ किला ३ (कबा ०-३६) हे०  
पर शान्दा पुत्र मांग्या के स्थान पर शान्दा  
पुत्र नगा रजि किया जावे।

तदनुसार अंतिम डिडी मुक्ति है।

उपरोक्त अधिकारी  
समस्त जयपुरी


-उपरो:-

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहक  
हुकम  
में

पश्चावली बाद लामील लामील फैलन  
शुभाए लेकए राखिल उम्ताए हाँ  
निर्णय आज दिनाङ्क 23.02.2021 को  
में जाए लिखाया जाऊए विगत न्यायालय  
में सुनाया गया।

  
(रेशल रान)  
I.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजपथी

# आंतिम डिकरी व मुकद्दमे

(ऑर्डर 20, कल 6-7, कानून की प्रणाली)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज्ञ अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजनगडी  
 व इजलास देवलदान T.A.S.

2020  
00312

वनाम खालचंड वनाम खालचंड  
 यावा बाबत 88.89.188 R.T. Act. 1955

मुकद्दमा नं. 175 सन् 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिखाल कतई ह-व-ह मुस देवलदान (T.A.S.)

बहाजरी श्री धनश्याम धारुड एड. मिनजानिव मुद्ई व पेटोना लला  
 मिनजानिव मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर पर ऑर्डर दिए जाते हैं, कि  
 वादागत दुमि माल मौज्जा लम्बोलिया ख.नं. 868, 869, 870 किला 3  
खेती 0.25 एड. पर कान्हा पुम मांग्या के लिये पर कान्हा पुम नगा दर्ज  
 किया जावे।

बीज ✓ मुबालेग ✓ बाबत ✓

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व खरह ✓ फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख बसूलयाबी तक ✓ को अदा करे।

बसंत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 02 2021

को जारी की गई।

महर

दस्तखत  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजनगडी

मुद्ई	रूपया	पं.	मुद्दायलाह	रूपया	पं.
स्टाम्प अर्जी/वा	.....		स्टाम्प वकालतनामा	.....	
स्टाम्प वकालतनामा	.....		स्टाम्प अर्जी	.....	
स्टाम्प बजह सबूत	.....		महनताना वकील पर	.....	
महनताना वकील	.....		खर्चा गवाहान	.....	
खर्चा गवाहान	.....		फीस कमिश्नर	.....	
फीस कमिश्नर	.....		बाबत इजराय हुकमनामा	.....	
बाबत इजराय हुकमनामा	.....		मुतफारिक	.....	
मुतफारिक	.....		मीजान ...	-	-

नोट-इस खर्चे के काम पर कुछ खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिखाया गया हो वा नहीं खर्च करवा  
 चाहिये। वाद खमम परफा अंपना-अंपना वदन की।

प. नु. बी. 139-2006-1; 00,000 काम

उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजनगडी